



## कूज़ शिप उद्योग

02 सितंबर 2021 को [सरकार ने घोषणा की](#) कि ऑस्ट्रेलिया में कूज़ जहाजों के संचालन के संबंध में जैवसुरक्षा अधिनियम 2015 (Biosecurity Act 2015) के तहत मानव जैवसुरक्षा आपात अवधि को तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में कूज़ जहाजों के प्रवेश और ऑस्ट्रेलियाई बंदरगाहों में प्रवेश के वर्तमान प्रतिबंध संबंधी दिशा-निर्देशों का **17 दिसंबर 2021** तक विस्तार; और
- 100 या इससे अधिक यात्रियों को ले जाने में सक्षम कूज़ जहाजों के लिए इन प्रतिबंधों का प्रवर्तन जारी रखना।

इन प्रतिबंधों में सीधे आगमन करने वाले और राउंड ट्रिप वाले कूज़ (आरटीसी) शामिल हैं।

## बड़े यात्री जहाज

बड़े यात्री जहाजों (चालक-दल समेत अधिकतम 99 बर्थ) के चालक दल ऑस्ट्रेलिया के यात्रा प्रतिबंधों से मुक्त नहीं हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने से पहले यात्रा अपवाद के लिए निवेदन जमा करने की आवश्यकता होगी। यह [यात्रा अपवाद पोर्टल](#) के माध्यम से किया जा सकता है।

हम केवल जहाज का सुरक्षापूर्वक संचालन करने के लिए आवश्यक चालक-दल के लिए ही अपवाद पर विचार करेंगे। जहाज के प्रवेश से आस्ट्रेलिया को आर्थिक लाभ भी पहुँचना चाहिए। सेवा या आतिथ्य (हॉस्पिटेलिटी) भूमिकाओं जैसी अन्य भूमिकाओं में ऑस्ट्रेलिया के कर्मियों को भर्ती किया जाना चाहिए।

आपको अपने यात्रा अपवाद निवेदन के साथ समर्थनकारी प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे, जिसमें शामिल हैं:

- प्रवेश के कारण की पुष्टि और ऑस्ट्रेलिया के लिए आर्थिक लाभ का प्रदर्शन
- जहाज की वर्तमान स्थिति
- ऑस्ट्रेलिया में आगमन का प्रस्तावित स्थान
- यात्रा अपवाद निवेदन में शामिल सभी चालक-दल और कर्मचारियों का संपूर्ण विवरण, जिसमें उनके रोजगार के उद्देश्य भी शामिल होने चाहिए
- संबंधित राज्य या राज्य-क्षेत्र सरकार के निर्देशानुसार संगरोध किए जाने की पुष्टि। इसमें सहमत व्यवस्थाओं के बारे में सलाह भी शामिल होनी चाहिए।
- संबंधित राज्य या राज्य-क्षेत्र सरकार की ओर से समर्थन।

# समुद्री यात्रा उद्योग

समुद्री चालक-दल (कूज़ जहाजों के चालक-दलों के अतिरिक्त) यात्रा प्रतिबंधों से मुक्त हैं, और उन्हें ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल आयुक्त (Australian Border Force Commissioner) से व्यक्तिगत अपवाद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

अपवाद-प्राप्त समुद्री चालक-दल में शामिल हैं:

- ऑस्ट्रेलियाई जलक्षेत्र में वाणिज्यिक (कूज़ और सुपरयाट नौकाओं के अतिरिक्त) या सरकारी जलयानों को समर्थन देने या इन्हें सेवाएँ प्रदान करने में कार्यरत चालक-दल
- समुद्री पायलट
- समुद्री सर्वेक्षक।

निम्नलिखित कार्यों में संलग्न जलयान एक वाणिज्यिक जलयान होता है:

- वाणिज्यिक व्यापार और माल की आवाजाही करना
- बंदरगाह और रख-रखाव से संबंधित सेवाएँ उपलब्ध कराना
- संसाधन उद्योगों जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को समर्थन प्रदान करना
- समुद्री सर्वेक्षण।

इस श्रेणी के तहत अपवाद प्राप्त होने पर:

- यदि आपके पास उपयुक्त वीज़ा हो, तो आप ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान कर सकते/सकती हैं
- आपको ऑस्ट्रेलिया में अपने आगमन के राज्य और राज्य-क्षेत्र में संगरोध करने की आवश्यकता हो सकती है। कई राज्य और राज्य-क्षेत्र अब (विमान से) ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री चालक दलों के लिए यह आवश्यक बनाते हैं कि वे **आगमन के सर्वप्रथम नगर में 14 दिनों के लिए अनिवार्य संगरोध करें।**

देखें: [COVID-19 समुद्री चालक-दल के लिए COVID-19 से संबंधित आवश्यकताएँ](https://covid19.homeaffairs.gov.au/cruise-ships-and-maritime)।